भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4789
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
नए एम्स अस्पताल और चिकित्सा संस्थान

†4789. श्री राजेश वर्माः
श्रीमती शांभवीः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पिछले दशक के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितने नए एम्स अस्पताल और सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान स्थापित किए गए हैं;
(ख) स्वास्थ्य अवसंरचना विस्तार के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है और वास्तविक स्वास्थ्य सेवा निवेश के संदर्भ में पिछले वर्षों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;
(ग) चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों को बढ़ाए जाने, पीजी मेडिकल प्रवेश बढ़ाने और सरकारी अस्पतालों में संकाय पदों को भरने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार देश में नवनिर्मित एम्स और सार्वजनिक अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और अंग प्रत्यारोपण सहित विशेष उपचारों की वहनीय उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करती है; और
(ङ) भारत को चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी उन्नयन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। एम्स का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ख): स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं का विवरण बजट आबंटन के साथ अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

(ग): जिला/रेफरल अस्पताल को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 131 कार्यशील हैं। एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को

मजबूत/उन्नत करने के लिए सीएसएस के तहत 83 कॉलेजों में 4977 एमबीबीएस सीटें, 72 कॉलेजों में चरण-I में 4058 पीजी सीटों की संख्या और 65 कॉलेजों में चरण-II में 4000 पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

एम्स/केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में संकाय पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. रिक्त संकाय पदों को शीघ्र भरने के लिए एम्स अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक एम्स में स्थायी चयन समिति का गठन किया गया है।
ii. विभिन्न एम्स के लिए जूनियर रेजिडेंट (शैक्षणिक) और सीनियर रेजिडेंट (शैक्षणिक) का चयन करने के लिए वर्ष में दो बार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी) और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान सुपर स्पेशियलिटी (आईएनआई-एसएस) परीक्षा आयोजित करना।
iii. केंद्र सरकार के अस्पतालों सहित एम्स के लिए नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा केंद्रीकृत नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (एनओआरसीईटी) का वर्ष में दो बार आयोजन करना।
iv. केंद्र सरकार के अस्पतालों सहित एम्स के लिए समूह क और ग की गैर-संकाय की भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा सामान्य भर्ती परीक्षा (सीआरई) का आयोजन करना।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) सहित विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू और लागू किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में किफायती दवाइयाँ और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (एएमआरआईटी) फ़ार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं। पीएमएसएसवाई के तहत, 22 एम्स के अतिरिक्त, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक/ट्रॉमा केयर सेंटर के निर्माण के माध्यम से 75 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन को मंजूरी दी गई है।

(ङ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) अपने आंतरिक अनुसंधान के तहत आईसीएमआर के भीतर काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को और अपने बाह्य अनुसंधान कार्यक्रम के तहत आईसीएमआर संस्थानों के बाहर चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकताओं (एनएचआरपी) का समाधान करने वाली परियोजनाओं को निधि देने के लिए एक अलग कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है, जो कई हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। स्वास्थ्य परिचर्या सेवा चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने की कुछ पहलों में मेडटेकमित्र प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, "फ़र्स्ट इन द वर्ल्ड" चैलेंज, मौजूदा वायरल अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) का उन्नयन, दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं का विकास, आईसीएमआर - अनुसंधान अवसंरचना साझाकरण पारिस्थितिकी तंत्र (आई-आरआईएसई), उन्नति पहल (भारतीय बच्चों के पोषण, वृद्धि और विकास मूल्यांकन के लिए मानदंडों का उन्नयन) आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक- क

पीएमएसएसवाई के तहत स्वीकृत एम्स का स्थान-वार/राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम्स का स्थान
1	आंध्र प्रदेश	एम्स मंगलागिरी
2	असम	एम्स गुवाहाटी
3	बिहार	एम्स दरभंगा
4		एम्स पटना
5	छत्तीसगढ़	एम्स रायपुर
6	गुजरात	एम्स राजकोट
7	हरियाणा	एम्स माजरा (रेवाड़ी)
8	हिमाचल प्रदेश	एम्स बिलासपुर
9	जम्मू और कश्मीर	एम्स विजयपुर, सांबा, जम्मू
10		एम्स अवंतीपुरा, कश्मीर
11	झारखंड	एम्स देवघर
12	मध्य प्रदेश	एम्स भोपाल
13	महाराष्ट्र	एम्स नागपुर
14	ओडिशा	एम्स भुवनेश्वर
15	पंजाब	एम्स बठिंडा
16	राजस्थान	एम्स जोधपुर
17	तमिलनाडु	एम्स मदुरै
18	तेलंगाना	एम्स बीबीनगर
19	उत्तर प्रदेश	एम्स रायबरेली
20		एम्स गोरखपुर
21	उत्तराखंड	एम्स ऋषिकेश
22	पश्चिम बंगाल	एम्स कल्याणी

अनुलग्नक- ख

स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं का विवरण

1. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम):** बुनियादी ढांचे के विकास, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, गैर संचारी रोग कार्यक्रमों, रोग उन्मूलन कार्यक्रमों, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने आदि के लिए फ्लेक्सिबल पूल के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

2. **प्रधानमंत्री- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):** पीएम एबीएचआईएम के तहत राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महामारी प्रतिरोधी अवसंरचना की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

3. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** यह योजना (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करती है।

4. **नर्सिंग सेवाओं का विकास:** यह योजना मौजूदा नर्सिंग स्कूलों (एसओएन) को नर्सिंग कॉलेजों में उन्नत करने में सहयोग करती है।

5. **मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना:** इस योजना का उद्देश्य वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	ब. अनु. 2024-25	ब. अनु. 2025-26
1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	36000.00	37226.92
2	प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) सीएसएस और सीएस	3756.57	4758.45
3	नए एम्स की स्थापना के व्यय सहित प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	9000.00	9839.00
4	नर्सिंग सेवाओं का विकास	22.00	28.74
5	नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में वृद्धि	1054.79	1475.00

****